

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शा0शि0 / सूर्यनमस्कार / 2009 / 316
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15.6.09

1. समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला कलेक्टर,
जिला मध्यप्रदेश ।

विषय:- योग के क्षेत्र में "स्वामी विवेकानन्द राज्यस्तरीय योग पुरस्कार 2008-09" ।

ॐ००ॐ

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा योग को लोकप्रिय बनाने तथा उसके व्यापक प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिये स्वामी विवेकानन्द राज्य स्तरीय योग पुरस्कार से व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किये जाने के उद्देश्य से कृपया प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2009 तक संचालनालय में भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(आलोक खरे)

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

शु

योग के क्षेत्र में योगदान के लिए स्वामी विवेकानंद राज्यस्तरीय योग पुरस्कार 2008-09

प्रविष्टियां आमंत्रित

मध्यप्रदेश में योग को लोकप्रिय बनाने तथा उसके व्यापक प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए स्वामी विवेकानन्द राज्यस्तरीय योग पुरस्कार में व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

1. यह पुरस्कार मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाएगा।
2. इस पुरस्कार का नाम "स्वामी विवेकानन्द राज्यस्तरीय योग पुरस्कार" होगा।
3. यह पुरस्कार योग के क्षेत्र में सृजनात्मकता, उत्कृष्टता एवं विशिष्ट योगदान हेतु संस्था/व्यक्ति को दिया जायेगा।
4. प्रतिवर्ष पुरस्कार की राशि रूपये 1.00 लाख होगी। पुरस्कार के साथ सम्मान स्वरूप ताम्रपत्र, शाल व श्रीफल भेंट किया जाएगा।
5. यह पुरस्कार ऐसी संस्था/व्यक्ति को देय होगा जिसने कम से कम 10 वर्ष तक मध्यप्रदेश में योग के क्षेत्र में कार्य किया हो।
6. पुरस्कार हेतु संस्था/व्यक्ति की प्रविष्टियां संचालक लोक शिक्षण को/संभाग आयुक्त/जिला कलेक्टरों को दिनांक 31 जुलाई, 2009 तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
7. पुरस्कार के चयन के लिए एक चयन समिति गठित होगी जिसमें 03 सदस्य होंगे।
8. स्वामी विवेकानन्द राज्यस्तरीय योग पुरस्कार 2008-09 हेतु निम्नानुसार प्रारूप पर आदेवन करना होगा :-

✓

स्वामी विवेकानन्द राज्यस्तरीय योग पुरस्कार 2008-09 हेतु आवेदन-पत्र

भाग-अ (व्यक्ति के लिए)

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. आयु/जन्मतिथि
4. पत्र व्यवहार का पता (दूरभाष सहित)
5. शैक्षणिक योग्यता
6. योग के क्षेत्र में प्राप्त शैक्षणिक या अन्य उपलब्धि
7. वर्तमान कार्यरत संस्था
8. योग के क्षेत्र में दिए गए योग का विवरण
9. योग के क्षेत्र में की गई रचनाएँ, आलेख आदि का विवरण :
10. योग के क्षेत्र में कार्य के लिए पूर्व में प्राप्त प्रमाण पत्र एवं पुरस्कारों का विवरण
11. आवेदक के दो पासपोर्ट साईज फोटो
12. मध्यप्रदेश में योग के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विवरण :

भाग-ब (संस्था के लिए)

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पंजीयन क्रमांक/दिनांक
(पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
3. संस्था का 3 वर्ष का लेखा-जोखा
(आडिट रिपोर्ट संलग्न करें)
4. संस्था का पता मय दूरभाष
5. कार्यकारिणी की अभिप्रमाणित सूची
6. संस्था का प्रमुख उद्देश्य
(संविधान की प्रति संलग्न करें)
7. योग के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों की जानकारी
8. योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्राप्त प्रमाण पत्र
9. एवं पुरस्कार संबंधी विवरण
10. सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा पृथक-पृथक संस्था के होने का प्रमाणीकरण (पांच रूपये के स्टाम्प पर)
11. मध्यप्रदेश में योग के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विवरण पृथक से संलग्न करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शा.शि./ई/01/2009/ 314
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15.6.09

✓ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
शिक्षा जिला मध्यप्रदेश ।

विषय:- भारत सरकार की नवीन योजना पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान(पाथका)के संबंध में।
संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्रमांक/शा0शि0/ए/01/2009/20 दिनांक 6.1.2009 ।

००००

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । विषयांकित योजना अंतर्गत आपके जिले के अंतर्गत फितनी ग्राम पंचायतों के स्कूलों में उपलब्ध खेल मैदानों को विकसित किया गया है इस संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव तत्काल लौटती डाक से भेजने का कष्ट करें ताकि स्थिति से शासन को अवगत कराया जा सके ।



(आलोक खरे)
सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक/शा.शि./ई/01/2009/
प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर शासन के पत्र क्र0 970/846/20-2/2009 दिनांक 18.5.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश